



HAMIRPUR POLICE



METICULOUS INVESTIGATION & PROSECUTION

“प्रभावी पैरवी कर पाँक्सो एक्ट एवं अन्य गम्भीर धाराओं में 02 अभियुक्त को आजीवन कारावास व 29,500/- रुपए के अर्थदण्ड की सजा दिलाई गई।”



श्रीमान पुलिस महानिदेशक, उत्तर प्रदेश के निर्देश पर चलाये जा रहे ऑपरेशन कन्विक्शन अभियान के दृष्टिगत जनपद पुलिस द्वारा गुणवत्तापूर्ण विवेचना व मा0 न्यायालय में समयबद्ध रूप से साक्षियों का साक्ष्य कराकर, सार्थक पैरवी के फलस्वरूप, थाना सुमेरपुर में पंजीकृत मु0अ0सं0-501/2022 धारा-363,366,376,504,506,323 भा0द0सं0 व 4 पाक्सो एक्ट में सजा दिलाई गई।

उक्त अभियोग में मा0 न्यायालय विशेष पाँक्सो एक्ट कोर्ट जनपद हमीरपुर द्वारा दोषसिद्ध पाये जाने पर अभियुक्त अंकित कुमार पुत्र जयराम निवासी ग्राम महुआ, थाना महाराजपुर, जनपद कानपुर नगर को धारा 363,366,323,504,506 भा0द0सं0 व 4 पाक्सो एक्ट में दोषसिद्ध करते हुये आजीवन कारावास व 19,500/- रुपये के अर्थदण्ड से दण्डित किया गया। एवं अभि0 राजकुमार पुत्र रामलाल निवासी ग्राम कुढ़नी, थाना साढ़, जनपद कानपुर नगर को धारा-4 पाक्सो एक्ट में दोषसिद्ध करते हुये 20 वर्ष के कठोर कारावास व 10,000/-रुपये के अर्थदण्ड से दण्डित किया गया।



अभियोजक-
एडीजीसी रुद्र प्रताप सिंह



विवेचक-
निरी0 दिनेश कुमार
पाण्डेय



पैरोकार- थाना सुमेरपुर
का0 प्रेम सिंह